FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–

श्री जालमसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह निवासी केन तलाब, घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 19 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	560-61 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (SDO) देसूरी के समक्ष सूचना प्राप्त के लिए आवेदन पत्र दिनांक 10-1-2018 को पेश किया गया था जिसमें फौ.मु.सं. 21/2002 सरकार बनाम देवीसिंह मदनसिंह वगैरा सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रति दिलवाने बाबत निवेदन किया गया जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है जिसपर अपील। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर उपखण्ड अधिकारी देसूरी से इस न्यायालय के जरिए पत्रांक कोर्ट/2019/560 दि० 6-5-19 के उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी देसूरी ने अपने पत्रांक कोर्ट/2019/332 दि० 13/5/2019 के जरिए अवगत कराया कि वांछित पत्रावली श्रीमान अति. संभागीय आयुक्त महो० जोधपुर द्वारा तलब किए जाने से जरिए पत्रांक/2019/58 दि 7/2/19 के भिजवाई जा चुकी है। पत्रावली भिजवा दिए जाने से वांछित सूचना अति. संभागीय आयुक्त महो. जोधपुर से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है। इस स्तर पर पत्रावली शुमार फैसल हो। जिला कलेक्टर, पाली	786 7/6/19